न्यायालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : ज्ञान प्रकाश गुप्ता,

सेशन प्रकरण संख्या: 313 सन् 2023 (CIS No 313/2023)
(CNR No RJUD01-002699-2023)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 83/2022 पुलिस थाना घण्टाघर)

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक,उदयपुर (राज.)

–अभियोगी

विरूद्व

लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु पुत्र स्व. राजेन्द्रसिंह, उम्र 23 वर्ष, निवासी 88 सुभाष मार्ग, माहेश्वरी पोल, रावजी का हाटा, पुलिस थाना घण्टाघर, जिला उदयपुर (राज.)

–मुलजिम

अपराध अन्तर्गत धारा – 307, 326 भारतीय दण्ड संहिता 1860
व धारा 4/25 आयुध अधिनियम

भाग–प्रथम

A

फरियादिया	श्रीमती सीमा चौहान
प्रस्तुतकर्ता	लोक अभियोजक वास्ते राज्य
मुलजिम का नाम व पता	लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु पुत्र स्व. राजेन्द्रसिंह, उम्र 23 वर्ष, निवासी 88 सुभाष मार्ग, माहेश्वरी पोल, रावजी का हाटा, पुलिस थाना घण्टाघर, जिला उदयपुर (राज.)
अधिवक्ता मुलजिम	श्री रमण जैन

B

अपराध की दिनांक	13.11.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	13.11.2022
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	01.05.2023
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	26.07.2023
साक्ष्य प्रारम्भ करने की दिनांक	15.12.2023
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	04.08.2026

Jaydeep Bhatnagar
"Authenticated Document"
Digitally signed by Jaydeep Bhatnagar
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.08.05 09:56:48 +0530

निर्णय दिनांक	04.08.2026
दण्डादेश की दिनांक	04.08.2026

C

मुलजिम का विवरण

मुलजिम की रैंक	मुलजिम का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए मुलजिम द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1	लक्ष्यराज सिंह उर्फ चिकु	15.12.2022	23.12.2022	307, 326 भा.दं.सं. 1860 व धारा 4/25 आयुध अधिनियम	307, 326 भा.दं.सं. 1860 में दोषमुक्त किंतु धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध	धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में 2 वर्ष का साधारण कारावास, दस हजार रूपये जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतने के दण्ड से दण्डित किया गया।	09 दिवस

भाग द्वितीय

अभियोजन बचाव/न्यायालय गवाहान सूची

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.ड.1	श्रीमती सीमा चौहान	प्रथम सूचना रिपोर्ट की ताईदकर्ता,चश्मदीद गवाह व फर्दात की ताईदकर्ता
पी.ड.2	तन्मय चौहान	मजरूह, स्वयं के साथ घटना होने का ताईदकर्ता
पी.ड.3	तारासिंह चौहान	फर्द घटनास्थल व मजरूह को इलाज हेतु हॉस्पिटल ले जाने का ताईदकर्ता
पी.ड.4	भगवतसिंह	मजरूह तन्मय को हॉस्पिटल ले जाने व पिता को सूचना देने का ताईदकर्ता

Jaydeep Bhatnagar

पी.ड.5	डॉ. महेन्द्रसिंह	मजरूह के चोट प्रतिवेदन का ताईदकर्ता
पी.ड.6	गिरिराज	मुलजिम की फर्द गिरफ्तारी का ताईदकर्ता
पी.ड.7	जिग्नेश	मुलजिम की फर्द गिरफ्तारी व अन्य फर्दात का ताईदकर्ता
पी.ड.8	डॉ. अजीतसिंह	मजरूह तन्मय की एक्स–रे रिपोर्ट का ताईदकर्ता
पी.ड.9	जितेन्द्र कुमार	मालखाना रजिस्टर का ताईदकर्ता
पी.ड.10	आशीष कुमार	आर्टिकल्स को एफ.एस.एल. में जमा कराने का ताईदकर्ता
पी.ड.11	रूपलाल	फर्द तस्दीक घटनास्थल व अन्य फदार्त का ताईदकर्ता
पी.ड.12	दीवानसिंह	अनुसंधानकर्ता
पी.ड.13	हरिश कुमार	हॉस्पिटल में फरियादिया से रिपोर्ट प्राप्त करने का ताईदकर्ता

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

अभियोजन/ बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्रम सं.	प्रदर्श नं.	विवरण
1	प्रदर्श पी.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी.2	नक्शा मौका घटनास्थल
3	प्रदर्श पी.3	फर्द जब्ती मजरूह तन्मय की टी शर्ट व जिंस
4	प्रदर्श पी.4	फरियादिया श्रीमती सीमा चौहान के धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन
5	प्रदर्श पी.5	मजरूह तन्मय के धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन
6	प्रदर्श पी.6	मजरूह तन्मय का चोट प्रतिवेदन
7	प्रदर्श पी.7	मजरूह तन्मय की एक्स–रे रिपोर्ट
8	प्रदर्श पी.8	मुलजिम लक्ष्यराजसिंह की गिरफ्तारी की फर्द
9	प्रदर्श पी.8	मजरूह तन्मय का मा.भू.रा.चि.उदयपुर का अन्तर्वासी रोगी शैया

Jaydeep Bhatnagar

		शीर्ष टिकिट व संबंधित अन्य कागजात
10	प्रदर्श पी.9	मजरूह तन्मय का शल्य चिकित्सा/सहमति पत्र
11	प्रदर्श पी.10	मजरूह तन्मय की Blood Compatibility Report
12	प्रदर्श पी.11	MBGH उदयपुर का मजरूह तन्मय का डिस्चार्ज टिकिट
13	प्रदर्श पी.12	MBGH उदयपुर की मजरूह तन्मय की Invistigation Report
14	प्रदर्श पी.13	मजरूह की चोट के संबंध में सर्जन की रिपोर्ट
15	प्रदर्श पी.14	मुलजिम द्वारा घटनास्थल की तस्दीक की फर्द
16	प्रदर्श पी.15	मुलजिम से चाकु की बरामदगी की फर्द
16	प्रदर्श पी.16	चाकु बरामदगी स्थल का नक्शा मौका
18	प्रदर्श पी.17	मुलजिम से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्ती की फर्द
19	प्रदर्श पी.18	मोटरसाइकिल जब्ती स्थल का नक्शा मौका
20	प्रदर्श पी.19व प्रदर्श पी 20ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
21	प्रदर्श पी.21	थानाधिकारी का पुलिस अधीक्षक को आर्टिकल एफ.एस.एल.भिजवाने बाबत पत्र
22	प्रदर्श पी.22	पुलिस अधीक्षक का एफ.एस.एल. को आर्टिकल्स भेजने बाबत पत्र
23	प्रदर्श पी.23	प्राप्ति रसीद
24	प्रदर्श पी.24	चाकशुदा एफ.आई.आर.
25	प्रदर्श पी.25	मजरूह की चोट के संबंध में थानाधिकारी का मेडिकल ज्यूरिस्ट को पत्र
26	प्रदर्श पी.26	थानाधिकारी का एम.ओ. को मजरूह के बयान बाबत पत्र
27	प्रदर्श पी.27	थानाधिकारी का एम.ओ. को मजरूह के बयान बाबत पत्र की प्रति
28	प्रदर्श पी.28	थानाधिकारी का मेडिकल ज्यूरिस्ट को मजरूह का मेडिकल बाबत पत्र
29	प्रदर्श पी.29	मुलजिम लक्ष्यराजसिंह के धारा 27 साक्ष्य अधि. की घटनास्थल बाबत सूचना
30	प्रदर्श पी.30	मुलजिम लक्ष्यराजसिंह के धारा 27 साक्ष्य अधि. की चाकु बरामदगी बाबत सूचना
31	प्रदर्श पी.31	मुलजिम लक्ष्यराजसिंह के धारा 27 साक्ष्य अधि. की मोटरसाइकिल बरामदगी बाबत सूचना
32	प्रदर्श पी.32	मोटरसाइकिल स्वामी को धारा 133MV Act का नोटिस मय जवाब

ब–बचाव प्रदर्श

क्रम सं.	प्रदर्श नं.	विवरण
–	–	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्रम सं.	प्रदर्श नं.	विवरण
–	–	–

द– भौतिक वस्तुएं

क्रम सं.	भौतिक वस्तु नं.	विवरण
1	प्रदर्श पी 3	मजरूह की टी शर्ट व पेंट
2	प्रदर्श पी 15	चाकु
3	प्रदर्श पी 17	मोटरसाइकिल बजाज के.टी.एम.

उपस्थिति:–

श्री रामकृपा शर्मा, लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

श्री रमण जैन, विद्वान अधिवक्ता–मुलजिम की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 04.08.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 13.11.2022 को फरियादिया श्रीमती सीमा चौहान, निवासी सोलंकियों की घाटी, रावजी का हाटा, उदयपुर ने बमुकाम एम.बी.जी.एच. उदयपुर पुरूष सर्जिकल वार्ड सं. 117 पर पुलिस थाना घण्टाघर के हेड कांस्टेबल हरिश कुमार को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 13.11.2022 को समय करीब 6:20PM के आसपास वह अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसके घर के सामने ही उसका बेटा तन्मय चौहान भी खड़ा हो मोबाईल पर बात कर रहा था तभी अचानक मोटरसाइकिल पर लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु आया और अपनी पेंट से एक धारदार चाकु निकाल कर उसके बेटे तन्मय के पेट में मार दिया जिससे खून निकलने लगे तन्मय की शर्ट, टीशर्ट, पेंट, हाथ सभी खून से भर गये। उसके चिल्लाने पर वह भाग गया।

पास ही भगवतसिंह गहलोत उर्फ डेनी खड़ा था, जिसे साथ लेकर हॉस्पिटल इलाज हेतु आये हैं। वे हल्ला नहीं करते तो लक्ष्यराजसिंह उसके बेटे को जान से मार देता। उसके बेटे तन्मय को जान से मारने की नीयत से ही चाकु मारा है। उसका बेटा तन्मय हॉस्पिटल में भर्ती है।

2. उक्त रिपोर्ट को पुलिस थाना घण्टाघर पर प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 83/2022 अपराध अंतर्गत धारा 307, 323 भारतीय दण्ड संहिता,1860 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु से घटना में प्रयुक्त चाकु बरामद किया जाकर धारा 4/25 आयुध अधिनियम का अपराध और जोड़ते हुए बाद अनुसंधान मुलजिम लक्ष्यराजसिंह के विरूद्ध धारा 326, 307 भारतीय दण्ड संहिता,1860 व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराधों में आरोप पत्र दिनांक 01.05.2023 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1, उदयपुर की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने से प्रकरण उपार्पित होकर दिनांक 26.07.2023 को प्राप्त होने पर सेशन प्रकरण संख्या 313/2023 पंजीबद्ध किया गया।

3. न्यायालय हाजा द्वारा आरोप पर बहस सुनकर मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु को धारा 326,307 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराधों के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए एवं समझाए गए। मुलजिम द्वारा अपराध करना अस्वीकार करते हुए अन्वीक्षा चाही गई जिस पर मामले का विचारण किया गया।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा अपना मामला साबित करने के लिए उपरोक्तानुसार पी.ड. 1 लगायत पी.ड. 13 कुल 13 गवाहान परीक्षित करवाए गए।

5. प्रलेखीय एवं भौतिक साक्ष्य में उपरोक्तानुसार प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 32, कुल 33 दस्तावेजात (प्रदर्श पी 8 दो बार) प्रदर्शित करवाए गए।

6. मुलजिम के धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के कथन लेखबद्ध किए गए जिसमें उसके द्वारा गवाहान की साक्ष्य को गलत बताते हुए, कुछ नहीं कहने का कथन किया। उसकी ओर से बचाव में गवाह पेश नहीं करना चाहा तथा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई।

7. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. मेरे समक्ष निर्णय के लिए प्रश्न है किः–

1. **''क्या मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु ने दिनांक 13.11.2022 को सांय के करीब 6:20 बजे या उसके लगभग किसी समय सालंकियों की घाटी, रावजी का हाटा में फरियादीया के पुत्र तन्मय को जान से मारने की नीयत से उसके साथ चाकु से मारपीट कर उसके शरीर के पेट जैसे मार्मिक अंग पर उपहति इस आशय व ज्ञान से कारित की कि यदि उक्त उपहति से आहत तन्मय की मृत्यु हो जाती तो मुलजिम हत्या के अपराध का दोषी होता और इस प्रकार मुलजिम ने धारा 326, 307 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में वर्णित अपराध कारित किया?''**

2. **''क्या मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु ने उपरोक्त अपराध के दिन अपने कब्जे में निर्धारित सीमा से अधिक फल का लोहे का चाकु बिना वैध लाईसेंस के रखकर धारा 4/25 आयुध अधिनियम में वर्णित अपराध भी कारित किया ?''**

9. इस प्रकरण के समर्थन में अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों में फरियादिया पी.ड. 1 श्रीमती सीमा चौहान पक्षद्रोही हो चुकी है। इस गवाह का कहना है कि घटना के समय छोटी सी बात को लेकर उसके बेटे तन्मय ओर लक्ष्यराजसिंह के बीच में झगड़ा हो गया था और मुलजिम लक्ष्यराजसिंह ने उसके बेटे तन्मय के चाकु नहीं मारा। लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर इस गवाह का कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 किसने लिखी उसे नहीं पता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में मारपीट करने वाली और चाकु मारने वाली बात उसने नहीं लिखवाई है। मुलजिम की ओर से प्रतिपरीक्षा करने पर इस गवाह का कहना है कि वह मौके पर मौजूद नहीं थी।

10. इस प्रकरण का मुख्य गवाह मजरूह पी.ड. 2 तन्मय भी पक्षद्रोही हो चुका है और इस गवाह का भी यही कहना है कि घटना के दिन दिनांक 13.11.2022 को मुलजिम की मोटर साइकिल से उसके टक्कर हो गई थी जिस पर दोनों के बीच में बोलचाल हुी थी और धक्का मुक्की में वह नीचे गिर गया था। मुलजिम लक्ष्यराजसिंह ने उसे चाकु नहीं मारा। अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा में इस गवाह का कहना है कि मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु ने उसे चाकु नहीं मारा क्योंकि उसके पास चाकु था ही नहीं और दोनों पक्षों के बीच में

Jaydeep Bhatnagar

राजीनामा हो चुका है।

11. पी.ड. 3 उपरोक्त मजरूह तन्मय का पिता तारासिंह हैं। यह गवाह पक्षद्रोही नहीं हुआ है और इस गवाह का कहना है कि उसके बच्चे तन्मय के साथ मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु ने चाकु से मारा था। घटना के समय वह अपने घर पर था। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 2 है। प्रतिपरीक्षा में इस गवाह का कहना है कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था, उसके पास तो किसी व्यक्ति का फोन आया था जिसने बताया था कि तन्मय के किसी ने चाकु मार दिया है। इस गवाह का भी यही कहना है कि उसके पुत्र तन्मय ने उसे बताया था की धक्का मुक्की में किसी नुकीली चीज पर पेट के बल नीचे गिरने से उसके पेट पर चोट लगी है। लक्ष्यराजसिंह व तन्मय के बीच समझौता हो गया है।

12. प्रकरण में पी.ड. 4 भगवतसिंह को प्रकरण का चश्मदीद गवाह बताया गया है परन्तु इस गवाह का कहना है कि तन्मय ने उसे बताया था कि उसे लक्ष्यराज उर्फ चिकू ने चाकु मारा है। उसने डेयरी के पास शाम के 6 बजे तन्मय को गिरा हुआ देखा था जिसके बाद उसने, उसके पिता को घटना की जानकारी दी थी। प्रतिपरीक्षा में इस गवाह का कहना है कि उसने लक्ष्यराज को तन्मय के चाकु मारते नहीं देखा।

13. अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड. 5 डॉक्टर महेन्द्रसिंह द्वारा मजरूह का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6 तैयार किया गया है, जिसके अनुसार मजरूह के शरीर पर एक चोट धारदार हथियार की कारित होना बताते हुए उपरोक्त चोट को गंभीर प्रकृति की और प्राणघातक होना बताया है। मजरूह की एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 और अन्य चिकित्सा संबंधी दस्तावेजात प्रदर्श पी 8 से प्रदर्श पी 13 हैं। इस गवाह की प्रतिपरीक्षा में उक्त तथ्यों के संबंध में कोई विशेष बात सामने नहीं आई है।

14. गवाह पी.ड. 6 गिरीराज के समक्ष मुलजिम लक्ष्यराजसिंह को फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 8 के जरिये गिरफ्तार किया गया था। गवाह पी.ड. 7 जिग्नेश गुर्जर के समक्ष अनुसंधान अधिकारी ने मुलजिम लक्ष्यराजसिंह को फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 8 के जरिये गिरफ्तार किया है। पी.ड. 8 डॉक्टर अजीतसिंह द्वारा मजरूह तन्मय की चोटों की एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 तैयार की गई है। पी.ड. 9 जितेन्द्र कुमार मालखाना इंचार्ज के रूप में साक्ष्य में उपस्थित हुआ है,जिसके समक्ष अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिम से बरामद चाकु व मजरूह के

Jaydeep Bhatnagar
"Authenticated Document"
Digitally signed by Jaydeep Bhatnagar
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.08.05 09:57:48 +0530

कपड़ों को सीलचिट अवस्था में मालखाना में जमा करने के लिए सुपुर्द किये गये, जिसका अंकन उसने मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 19 के क्रम संख्या 57 पर किया। इस गवाह द्वारा उपरोक्त दोनों आर्टिकल कांस्टेबल आशीष के जरिये एफ.एस.एल. में जमा करवाने हेतु भिजवाये गये थे। प्रदर्श पी 19 पर इ से एफ उपरोक्त कांस्टेबल आशीष के हस्ताक्षर हैं। आशीष ने आर्टिकल्स एफ.एस.एल. में जमा कराने के उपरांत रसीद लाकर पेश की थी। इन गवाहान की प्रतिपरीक्षा में उपरोक्त तथ्यों के संबंध में कोई विशेष बात सामने नहीं आई है।

15. गवाह पी.ड. 10 आशीष कुमार का कहना है कि मालखाना इंचार्ज ने उसे दिनांक 20.12.2022 को दो आर्टिकल सीलचिट अवस्था में मार्ग ए व बी पत्र प्रदर्श पी 21 के साथ एफ.एस.एल. में जमा कराने के लिए दिये, जिन्हें लेकर वह एस.पी. कार्यालय उदयपुर आया और वहाँ से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर दोनों आर्टिकल मय अग्रेषण पत्र के एफ.एस.एल. उदयपुर में जमा करवाये और वहां से रसीद लाकर पेश की जो प्रदर्श पी 23 है। इस गवाह की प्रतिपरीक्षा में उपरोक्त तथ्यों के संबंध में कोई विशेष बात सामने नहीं आई है।

16. गवाह पी.ड. 12 दीवानसिंह द्वारा इस प्रकरण में अनुसंधान किया गया है। अनुसंधान के दौरान इस गवाह द्वारा चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 24 तैयार की गई। गवाहान के बयान लिये गये। मजरूह का मेडिकल मुआयना करवाया गया। मजरूह द्वारा घटना के वक्त पहने कपड़ों टी शर्ट व जिंस को फर्द जब्ती प्रदर्श पी 3 के जरिये जब्त किये गये हैं। मुलजिम को गिरफ्तार कर, मुलजिम की सूचना के आधार पर फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 14 तैयार किया गया है। इस गवाह का यह भी कहना है कि अनुसंधान के दौरान उसके द्वारा मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु के विरूद्ध धारा 307, 326 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराधों को प्रमाणित मानते हुए उक्त अपराधों में चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उपरोक्त तथ्यों के संबंध में इस गवाह की प्रतिपरीक्षा में कोई विशेष बात सामने नहीं आई है।

17. पी.ड. 13 हरिश कुमार मीणा के समक्ष एम.बी. अस्पताल उदयपुर में मजरूह की माता सीमा चौहान द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दी गई है। इस गवाह की प्रतिपरीक्षा में उपरोक्त तथ्यों के संबंध में कोई विशेष बात सामने नहीं आई है।

18. वर्तमान प्रकरण में पत्रावली पर एफ.एस.एल. रिपोर्ट संख्या 22 दिनांक 15.03.2023 प्रस्तुत अवश्य हुई है परन्तु उसे अभियोजन द्वारा प्रदर्शित नहीं करवाया गया

Jaydeep Bhatnagar
"Authenticated Document"
Digitally signed by Jaydeep Bhatnagar
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.08.05 09:58:19 +0530

है। उपरोक्त एफ.एस.एल. रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मजरूह की शर्ट और जिंस पैकेट ए व मुलजिम से बरामद चाकु पैकेट बी, दोनों पर मानव श्रेणी का ए ग्रुप का रक्त पाया गया था।

19. इस प्रकार सर्वप्रथम उपरोक्त संपूर्ण पत्रावली तथा गवाहान की साक्ष्य के अवलोकन से स्थिति इस प्रकार स्पष्ट होती है कि मजरूह पी.ड. 2 तन्मय, उसकी माता फरियादिया पी.ड. 1 सीमा चौहान, पिता पी.ड. 3 तारासिंह, पी.ड. 5 डॉक्टर महेन्द्रसिंह, पी.ड. 8 डॉक्टर अजीतसिंह की साक्ष्य तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, नक्शा मौका प्रदर्श पी 2, मजरूह तन्मय का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6 व एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 के अवलोकन से यह तो सिद्व होता है कि घटना के दिन दिनांक 13.11.2022 को किसी धक्का–मुक्की की घटना में मजरूह तन्मय चौहान के पेट में चाकु जैसे धारदार हथियार से एक गंभीर प्राणघातक चोट कारित हुई ।

20. अभियोजन की कहानी के अनुसार दिनांक 13.11.2022 को फरियादिया पी.ड. 1 सीमा चौहान के पुत्र तन्मय चौहान और मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु के बीच में किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसमें मुलजिम ने अपनी जेब से एक धारदार चाकु निकाल कर तन्मय के पेट में मार दिया, जिससे तन्मय के प्राणघातक चोट कारित हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार इस घटना का चश्मदीद गवाह भगवतसिंह गहलोत था। परन्तु अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहों में मजरूह पी.ड. 2 तन्मय, मजरूह की माता पी.ड. 1 फरियादिया सीमा चौहान पक्षद्रोही हो चुके हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताये गये चश्मदीद गवाह पी.ड. 4 भगवतसिंह का कहना है कि उसे तो मजरूह तन्मय ने बताया था कि लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु ने चाकु मारा है। उसने मुलजिम द्वारा तन्मय को चाकु मारते नहीं देखा था और इस प्रकार यह गवाह सुनी–सुनाई बात कहता है और जिस व्यक्ति से सुनी–सुनाई बात बताता है वह स्वयं ही पक्षद्रोही हो चुका है। पी.ड. 3 मजरूह का पिता तारासिंह का कहना है कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था और तन्मय के दोस्त के कहने पर ही वह बता रहा है कि तन्मय के किसने चाकु मारा था। परन्तु यह पहले ही देखा जा चुका है कि उक्त दोस्त पी.ड. 4 भगवतसिंह भी केवल सुनी–सुनाई साक्ष्य ही देता है।

21. अतः इस प्रकार पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रतीत होता हो कि मजरूह तन्मय के जो चोट कारित हुई है वह मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु के द्वारा

Jaydeep Bhatnagar

कारित की गई है। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 12 दीवानसिंह का कहना है कि उसने अनुसंधान के दौरान मजरूह के पहने हुए कपड़ों को बरामद किया था और मुलजिम को गिरफ्तार कर, मुलजिम की सूचना के आधार पर मुलजिम से एक चाकु बरामद किया गया था और इन कपड़ों व चाकु को सीलबंध कर नियमानुसार मालखाना में रखवाया गया था जहाँ से पी.ड. 10 कांस्टेबल आशीष से एस.पी. कार्यालय के अग्रेषण पत्र के जरिये एफ.एस.एल. भिजवाया गया था। इस प्रकार उपरोक्त गवाह व कांस्टेबल पी.ड. 10 आशीष, मालखाना इंचार्ज पी.ड. 9 जितेन्द्र कुमार की साक्ष्य तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार यह तो सिद्ध होता है कि मजरूह के घटना के समय पहने हुए कपड़ों और मुलजिम से बरामद चाकु को सीलबंद हालत में एफ.एस.एल. भिजवाया गया था परन्तु यह पहले ही देखा जा चुका है कि ऐसी कोई एफ.एस.एल. रिपोर्ट पत्रावली पर प्रदर्शित नहीं हुई है। हालांकि अप्रादर्शित एफ.एस.एल. रिपोर्ट पत्रावली पर अवश्य मौजूद है जिसमें मजरूह के कपड़ों और मुलजिम से बरामद चाकु पर एक ही ब्लड ग्रुप का मानव रक्त पाया या है। परन्तु इससे भी अभियोजन को कोई मदद नहीं मिलती है क्योंकि यह साक्ष्य केवल सम्पुष्टक साक्ष्य है जबकि इस प्रकरण में मुख्य गवाह पी.ड. 2 मजरूह तन्मय स्वयं ही पक्षद्रोही हो चुका है।

22. इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिम को गिरफ्तार करने के उपरान्त उसकी सूचना के आधार पर घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की बजाज केटीएम मोटरसाइकिल जरिये फर्द प्रदर्श पी 17 अवश्य बरामद की गई है परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उपरोक्त मोटरसाइकिल को अपराध मे प्रयुक्त किया गया हो। अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं देता है कि मुलजिम बरामदशुदा मोटरसाइकिल पर अपराध करने आया हो। इन परिस्थितियों में मुलजिम की सूचना पर बरामद बिना नंबर की बजाज केटीएम मोटरसाइकिल का वर्तमान अपराध से कोई संबंध होना प्रतीत नहीं होता है।

23. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के अनुसार अभियोजन यह संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है कि मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु द्वारा मजरूह तन्मय के साथ धारदार हथियार से स्वेच्छा गंभीर उपहति कारित की गई हो और तन्मय कुमार की हत्या करने का प्रयास किया या हो। अतः इन परिस्थितियों में मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु

Jaydeep Bhatnagar

पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 326, 307 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है तथा धारा 326, 307 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराधों में संदेह का लाभ प्राप्त करते हुए दोषमुक्त होने का अधिकारी होना पाया जाता है।

24. जहाँ तक मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध का प्रश्न है। इस प्रश्न के समर्थन में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 12 दीवानसिंह का यह कहना है कि उसने इस प्रकरण में अनुसंधान के दौरान मुलजिम लक्ष्यराजसिंह को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 8, गिरफ्तारी के दौरान मुलजिम लक्ष्यराजसिंह द्वारा उसे धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी 30 दी गई कि वह घटना में प्रयुक्त चाकु बरामद करा सकता है। उक्त सूचना के आधार पर मुलजिम की निशांदेही से माणिक्य लाल वर्मा पार्क, दूधतलाई से फर्द जब्ती प्रदर्श पी 15 के जरिये एक लोहे का चाकु बरामद किया गया, जिसे मौके पर सीलचिट किया गया। चाकु बरामदगी स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 16 है। उक्त तथ्यों के संबंध में इस गवाह का प्रतिपरीक्षा में कहना है कि चाकु बरामद कराने की सूचना गिरफ्तारी के दूसरे दिन पुलिस रिमाण्ड के दौरान मुलजिम द्वारा दी गई थी एवं जिस स्थान से चाकु बरामद किया गया है, वह सार्वजनिक स्थान है, जहाँ कोई भी व्यक्ति आ सकता है एवं पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र लोगों को गवाह नहीं बनाया गया है क्योंकि अन्य कोई व्यक्ति गवाह बनने के लिये तैयार नहीं थे। उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त इस गवाह की प्रतिपरीक्षा में अन्य कोई विशेष बात सामने नहीं आई है।

25. अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 12 दीवानसिंह की उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि अन्य गवाहों से भी होती है, जिनमें पी.ड. 6 गिरीराज का कहना है कि उसके समक्ष अनुसंधान अधिकारी ने फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 8 के जरिये मुलजिम लक्ष्यराजसिंह को गिरफ्तार किया गया है। पी.ड. 7 जिग्नेश गुर्जर का कहना है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिम की निशांदेही से एक चाकु फर्द प्रदर्श पी 15 के जरिये बरामद किया गया था। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 15 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 16 है। उपरोक्त तथ्यों के संबंध में इस गवाह की प्रतिपरीक्षा में कोई विशेष बात सामने नहीं आई है। गवाह पी.ड. 11 रूपलाल का कहना है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिम से एक लोहे का चाकु प्रदर्श पी 15 के जरिये पार्क में झाड़ियों के पीछे से बरामद किया गया था और बरामदगी स्थल का

नक्शा मौका प्रदर्श पी 16 बनाया गया था। उक्त दोनों फर्दों पर सी से डी इस गवाह के हस्ताक्षर हैं। इस गवाह की प्रतिपरीक्षा में उपरोक्त तथ्यों के संबंध में कोई विशेष बात सामने नहीं आई है।

26. अतः इस प्रकार उपरोक्त गवाहान पी.ड. 12 अनुसंधान अधिकारी दीवानसिंह, पी.ड. 7 जिग्नेश गुर्जर, पी.ड. 11 रूपलाल की साक्ष्य से तथा मुलजिम की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 8, मुलजिम की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी 30, फर्द जब्ती चाकु प्रदर्श पी 15 तथा चाकु बरामदगी स्थल की फर्द प्रदर्श पी 16 के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिम की सूचना के आधार पर माणिक्य लाल वर्मा पार्क से एक चाकु बरामद किया गया था। हालांकि उपरोक्त फर्दों में पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त अन्य कोई गवाह नहीं है और बरामदगी स्थल एक सार्वजनिक स्थल है। परन्तु थानाधिकारी को इस तथ्य की जानकारी केवल मात्र मुलजिम की सूचना के आधार पर ही हुई है कि उपरोक्त सार्वजनिक पार्क में झाड़ियों के पीछे एक चाकु है और यह चाकु मुलजिम की सूचना से बरामद हुआ है। इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरें Manju Nath & Ors Vs State of Karnatka. Criminal Appeal No 866 of 2011 Supreme Court of India. Decided on 6 November,2023 एवं State Vs Sumit Cr.Case No 7409/2023 JMFC-06, Souoth East District, Saket Courts, New Delhi. Decided on 13 August 2025 के सादर अवलोकन से भी बचाव पक्ष को कोई मदद नहीं मिलती है और केवल मात्र पुलिसकर्मी होने से गवाह स्वतन्त्र न हो ऐसा नहीं माना जा सकता है। अतः इस प्रकार मुलजिम लक्ष्यराज सिंह उर्फ चिकु की सूचना के आधार पर उसके कब्जे से एक चाकु बरामद होना और ऐसे चाकु के लोहे के फल की लंबाई 21.40 से.मी होना व कुल लंबाई 33.90 सेमी होना सिद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के संबंध में मुलजिम द्वारा बयान मुलजिम में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अपने पक्ष के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार 10.16 से.मी. से अधिक लंबाई के धारदार फल वाले हथियार के लिए अनुज्ञा पत्र होना आवश्यक है। मुलजिम द्वारा ऐसा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कया गया है कि उसके पास उपरोक्त चाकु रखने का कोई अनुज्ञा पत्र हो। इन सब परिस्थितियों में अभियोजन मुलजिम के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध का संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।

Jaydeep Bhatnagar

इन परिस्थितियों में मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध होने योग्य पाया जाता है।

27. अतः इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन व स्वयं मजरूह तन्मय के पक्षद्रोही हो जाने से मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु के विरूद्ध धारा 307, 326 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का अपराध को सिद्ध नहीं होता है परन्तु मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु के कब्जे से निर्धारित सीमा से अधिक लंबाई के फल का चाकु बरामद होने से मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु के विरूद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम का अपराध पूरी तरह से सिद्ध होता है।

आदेश

28. फलतः मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु पुत्र स्व. राजेन्द्रसिंह, उम्र 24 वर्ष, निवासी 88 सुभाष मार्ग, माहेश्वरी पोल, रावजी का हाटा, पुलिस थाना घण्टाघर, जिला उदयपुर (राज.) को धारा 326, 307 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अपराधों के लिए साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। किन्तु मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु को धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है।

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश
उदयपुर(राज)

29. बचाव पक्ष द्वारा Amit Singh Vs State of Rajasthan. Criminal Appeal No 4860-4861 of 2024 LAWS(SC)-2024-11-112. Supreme Court of India. Decided On November 28, 2024. एवं Sugna Ram Vs The State of Rajasthan on 23 January,1991. Equivalent citations: 1991(1) WLN 185 एवं Navab Singh Vs State of Rajasthan. SB Criminal Appeal No 248/90 Decided on March 29, 2012 High Court of Rajasthan (At: Jaipur) नजीरें प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुलजिम को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। प्रस्तुत उपरोक्त नजीरों के सादर अवलोकन से भी बचाव पक्ष को कोई मदद नहीं मिलती है क्योंकि वर्तमान प्रकरण में मुलजिम के कब्जे से निर्धारित सीमा 10.16 से.मी.से अधिक लगभग 21.40 से.मी. लंबे फल का चाकु बरामद किया गया है और जो चोट मजरूह के कारित होना बताया गया है, वह 10 से.मी. गहरी होना बताया गया था, जिसके बारे में चोट

Jaydeep Bhatnagar

प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6 व एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 के अनुसार उक्त चोट को गंभीर और प्राणघातक बताया गया है। ऐसी स्थित में प्रकरण और अपराध की परिस्थितियों को देखते हुए मैं मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं समझता हूँ।

30. दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्षों को सुना गया। अभियोजन का कहना है कि मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु को गंभीर दण्ड से दण्डित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता मुलजिम का कहना है कि मुलजिम के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे क्योंकि मुलजिम नवयुवक होकर यह उसका प्रथम अपराध है।

31. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत व पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वर्तमान प्रकरण में मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु के विरूद्ध धारा 326, 307 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 जैसे गंभीर अपराधों का आरोप था किन्तु साक्ष्य के अभाव में मुलजिम के विरूद्ध केवल 4/25 आयुध अधिनियम का आरोप ही सिद्ध हो पाया है। ऐसी परिस्थिति में मुलजिम के विरूद्ध कोई विशेष नरमी का रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दण्डादेश

32. फलतः मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु पुत्र स्व. राजेन्द्रसिंह, उम्र 23 वर्ष, निवासी 88 सुभाष मार्ग, माहेश्वरी पोल, रावजी का हाटा, पुलिस थाना घण्टाघर, जिला उदयपुर (राज.) को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दो वर्ष का साधारण कारावास तथा 10,000 रूपये के जुर्माना से, अदम अदायगी जुर्माना एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतने के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

33. धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु द्वारा पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई अवधि को मूल सजा में नियमानुसार समायोजित की जावे।

34. मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु जमानत पर स्वतन्त्र है अतः मुलजिम के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। मुलजिम लक्ष्यराजसिंह उर्फ चिकु को अभिरक्षा में लिया जाकर उसका सजा वारण्ट निर्णयानुसार बनाये जावें।

35. प्रकरण में जब्तशुदा बजाज के.टी.एम.मोटर साइकिल पूर्व में दिनांक 28.12.2022

Jaydeep Bhatnagar

को संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाहन स्वामी श्रीमती दिव्या पत्नी स्व. लक्ष्मणसिंह को सुपर्दगी पर दी जा चुकी है। उक्त सुपुर्दगीनामा व जमानत नामा निरस्त किया जाता है तथा उक्त मोटरसाइकिल (प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर RJ27 BP 9629) वाहन स्वामी के पास ही रहे। अन्य जब्तशुदा आर्टिकल्स बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट कर दिये जावें।

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश
उदयपुर(राज)

36. निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 04.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश
उदयपुर(राज)